राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और इसके आसपास का विवाद

लेखक-दीप्तिमान तिवारी और करिश्मा मेहरोत्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I (मानव भूगोल) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

27 सितम्बर, 2019

"सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर परियोजना को ऐसे समय में पुनर्जीवित किया है जब असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशित किया गया है। इस आलेख में हम जानेंगे कि दोनों अलग कैसे हैं? किस प्रकार का डेटा एकत्र किया जाएगा और क्यों किया जाएगा?"

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की पृष्ठभूमि में, जहाँ आवेदन करने वाले 3.3 करोड़ में से 19 लाख को बाहर कर दिया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर, NPR) परियोजना के पुनरुत्थान ने देश में नागरिकता के विचार के आस पास व्याप्त अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है।

जहाँ देश में एक तरफ आधार से जुड़ी गोपनीयता के मुद्दों पर बहस अभी तक जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के निवासियों पर विस्तृत डेटा एकत्र करने के लिए एनपीआर अपने अभियान पर निकल चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने "एक राष्ट्र, एक कार्ड" के बारे में विचार करते हुए कहा कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

NPR क्या है?

एनपीआर 'देश के सामान्य निवासियों' की एक सूची है। गृह मंत्रालय के अनुसार, 'देश का सामान्य निवासी' वह है जो कम से कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता हो या अगले छह महीनों के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता हो। एनआरसी के विपरीत, एनपीआर एक नागरिकता परिगणना अभियान नहीं है क्योंकि यह उस विदेशी को भी अपने रिकॉर्ड में शामिल करता है जो छह महीने से अधिक समय से एक इलाके में रह रहा हो।

एनपीआर को नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक 'सामान्य निवासी' के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

जनगणना का पहला चरण घरों के सूचीकरण के संयोजन के साथ शुरू होगा, जिसे जनगणना-2021 के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें केवल असम शामिल नहीं होगा।

एनपीआर अभ्यास स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर किया जाता है। RGI ने पहले ही 5,218 परिगणना ब्लॉकों के माध्यम से 1,200 से अधिक गांवों और 40 शहरों और शहरों में एक पायलट परियोजना शुरू की है, जहाँ इनके द्वारा लोगों से विभिन्न डेटा एकत्र किया जा रहा है। अंतिम गणना अप्रैल, 2020 में शुरू होगी और सितंबर, 2020 में समाप्त हो जाएगी।

इसके आस पास क्या विवाद है?

यह NRC की पृष्ठभूमि से संबंधित है, जिसमें असम के 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था। सरकार ने जोर देकर कहा कि एनआरसी को देश भर में लागू किया जाएगा, एनपीआर ने देश में नागरिकता के विचार को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। वर्तमान में आधार और गोपनीयता पर एक बहस अभी तक जारी है और एनपीआर में भारत के निवासियों पर व्यक्तिगत डेटा का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा करने का इरादा रखा गया है, जिसने चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है।

एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी के संचालन का विचार केवल आगामी एनपीआर के आधार पर होगा। निवासियों की एक सूची तैयार

होने के बाद, एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी उस सूची से नागरिकों को सत्यापित करने का कार्य करेगी।

एनपीआर भी आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आदि की तरह ही एक पहचान डेटाबेस है। इसके अलावा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह देश में सभी के लिए एक कार्ड संयुक्त रूप से देखना पसंद करेंगे। शाह ने मंगलवार को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के नए कार्यालय और जनगणना आयुक्त के शिलान्यास समारोह में कहा कि 'हमें इन सभी अलग-अलग अभ्यासों को समाप्त करना होगा।' "अगर हम एक डिजिटल जनगणना अच्छी तरह से करते हैं, तो सभी कार्ड, एक कार्ड में समाहित हो सकते हैं।

क्या एनपीआर एक नया विचार है?

बिल्कुल नहीं। यह विचार वास्तव में यूपीए शासन के समय का है और 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था। वास्तव में, यह उस समय आधार (यूआईडीएआई) से टकरा गया था और फिर बहस होने लगी कि नागरिकों को सरकारी लाभ हस्तांतरित करने के लिए कौन सी परियोजना सबसे उपयुक्त होगी। गृह मंत्रालय ने तब एनपीआर के एक बेहतर वाहन होने के विचार को छोड़ दिया था क्योंकि यह जनगणना के माध्यम से प्रत्येक एनपीआर-दर्ज निवासी के एक घर से जुड़ा हुआ था। इसके बाद, गृह मंत्रालय ने भी यूआईडीएआई परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

एनपीआर के लिए डेटा को पहली बार 2010 में जनगणना-2011 के घरों के सूचीकरण चरण के साथ एकत्र किया गया था। 2015 में, इस डेटा को एक डोर-टू-डोर सर्वेक्षण आयोजित करके अद्यतन किया गया था।

हालांकि, मौजूदा सरकार ने 2016 में आधार को सरकारी लाभ के हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण वाहन के रूप में चुना और इसके पीछे जोर डालते हुए एनपीआर को पीछे धकेल दिया। हालांकि, RGI द्वारा 3 अगस्त को एक अधिसूचना के माध्यम से इस विचार को पुनर्जीवित किया गया है। अतिरिक्त डेटा के साथ 2015 के एनपीआर को अपडेट करने की कवायद शुरू हो गई है और 2020 में पूरी भी हो जाएगी। अद्यतन जानकारी का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।

एनपीआर किस तरह का डेटा एकत्र करेगा?

एनपीआर जनसांख्यिकीय डेटा और बायोमेट्रिक दोनों डेटा एकत्र करेगा। जनसांख्यिकीय डेटा की 15 अलग-अलग श्रेणियां हैं, जिनमें नाम और जन्मस्थान से लेकर शिक्षा और व्यवसाय शामिल हैं, जिसे RGI द्वारा एनपीआर में संग्रहित किया जाना है। बायोमेट्रिक डेटा के लिए यह आधार पर निर्भर करेगा, जिसके लिए वह निवासियों का आधार विवरण मांगेगा।

इसके अलावा, देश भर में चल रहे एक टेस्ट रन में RGI मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट (यदि निवासी भारतीय हो) का विवरण मांग रहा है। यह जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली को अद्यतन करने पर भी काम कर रहा है।

2010 के अभ्यास में, RGI ने केवल जनसांख्यिकीय विवरण एकत्र किया था। 2015 में, इसने मोबाइल, आधार और निवासियों के राशन कार्ड नंबरों के साथ डेटा को अपडेट किया था। 2020 के अभ्यास में, इसने राशन कार्ड संख्या को हटा दिया था लेकिन अन्य श्रेणियों को जोड़ा था।

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, एनपीआर के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है, अतिरिक्त डेटा, जैसे-पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है। इसे अनिवार्य बनाने से अनावश्यक मुकदमेबाजी के मामले सामने आएंगे। अब तक इसे अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम नागरिकों पर भी भरोसा जता रहे हैं। प्रदान किए गए विवरणों के खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं पूछा जा रहा है या सत्यापित नहीं किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट से पता चला है कि लगभग सभी लोग इस डेटा को साझा करने के इच्छुक हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि केवल कुछ शहरी क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली में हमें कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।

मंत्रालय ने निवासियों के विवरण को एनपीआर में ऑनलाइन अपडेट करने के लिए भी मांगा है।

सरकार को इतना डेटा क्यों चाहिए?

इस सन्दर्भ में एक बड़ी चिंता गोपनीयता के बारे में है, बहुत सारे डेटा के संग्रह पर सरकारी स्थिति दो तरफा है। पहला दावा यह है कि प्रत्येक देश में प्रासंगिक जनसांख्यिकीय विवरण के साथ अपने निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यह सरकार को अपनी नीतियों को बेहतर बनाने में मदद् करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद् करेगा।

दूसरा, मोटे तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पैन नंबर जैसे डेटा के संग्रह के कारण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन से लालफीताशाही से छुटकारा मिल जायेगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'इससे न केवल सरकारी लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद् मिलेगी, बल्कि कागजी कार्रवाई और लालफीताशाही में भी कटौती होगी।'

अधिकारी के अनुसार, यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर निवासियों के डेटा को सुव्यवस्थित करेगा। विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख का पता लगाना आम है। एनपीआर को खत्म करने में मदद् मिलेगी। एनपीआर डेटा के साथ, निवासियों को आधिकारिक काम में उम्र, पता और अन्य विवरण के विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने होंगे। यह मतदाता सूचियों में दोहराव को भी समाप्त करेगा।

अधिकारी इस बात पर भी जोर देते हैं कि एनपीआर की जानकारी निजी और गोपनीय है अर्थात् इसे तीसरे पक्षों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। हालांकि, डेटा की इस विशाल राशि के संरक्षण के लिए तंत्र पर अभी तक कोई स्पष्टता उपलब्ध नहीं है।

GS World टीम...

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि देश के सामाजिक प्रवाह, देश के अंतिम व्यक्ति के विकास और देश के भविष्य के काम के आयोजन के लिए जनगणना आधार है।
- केंद्र सरकार ने असम में एनआरसी की तर्ज पर सितंबर, 2020 तक पूरे देश के सभी नागरिकों के ब्यौरे वाला राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का फैसला किया है।
- इसमें हर नागरिक का डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक ब्यौरा शामिल किया जाएगा। इसे एक बार पूर्ण रूप से प्रकाशित करने के बाद सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार कराएगी।
- इसके साथ ही गृहमंत्री ने सभी नागरिकों के लिए एक बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र का विचार रखा, जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाते जैसी सभी सुविधाएं जुड़ी हों। उन्होंने कहा कि जनगणना-2021 के आंकड़े मोबाइल ऐप के जरिए जुटाए जाएंगे।

क्या है?

- एनपीआर का उद्देश्य देश में रह रहे हर नागरिक का ब्यौरा तैयार करना है।
- इसके अंतर्गत हर उस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, जो पिछले छह महीने से किसी स्थानीय जगह पर रह रहा है या वह व्यक्ति जो उस इलाके में अगले छह महीने या उससे अधिक के लिए बसना चाहता है।
- एनपीआर के लिए 1 अप्रैल, 2020 से जनगणना का काम शुरू होगा। टीमें असम को छोड़कर देशभर में घर-घर जाकर लोगों का डाटा एकत्रित करेंगी।
- भारत में बसे हर व्यक्ति के लिए एनपीआर में अपना नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। 17वीं लोकसभा की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया था।
- एनपीआर देश में रहने वाले नागरिकों की एक विस्तृत सूची होगी। एनपीआर के पूरा होने और प्रकाशित होने के बाद भारतीय नागरिक राष्ट्रीय पंजी (एनआरआईसी) तैयार करने के लिए इसके एक आधार बनने की उम्मीद है।

अन्य मुख्य बिंदु

- इस प्रक्रिया को इसके पहले वर्ष 2010 और 2015 में दो चरणों में आयोजित किया गया था।
- NPR के तहत सामान्य निवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्थानीय क्षेत्र में छह महीने या उससे अधिक समय के लिये निवास कर रहा हो या एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक निवास करने की इच्छा रखता हो।
- इसके पहले आधार के साथ अतिव्यापी (Overlapping) होने के कारण NPR की गतिविधियाँ धीमी हो गई थीं।
- सरकार ने नागरिकता पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी नियम-2003 के नियम-3 के उप-नियम (4) के तहत जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और अद्यतन करने का निर्णय लिया है।
- NPR के तहत असम को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा।
- भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी को स्वयं को NPR में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

1. NPR देश के सामान्य नागरिकों की एक सूची है जोकि एक गैर सरकारी संस्था द्वारा तैयार की जाती है।
2. NPR डेटा को 2015 में डोर टू डोर सर्वेक्षण आयोजित करके इकट्ठा किया गया।
3. इस डेटा का उपयोग सरकार नीतियों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में करती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 3
(b) 2 और 3
(c) 1 और 2
(d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements regarding the National Population Register (NPR) Project.**

1. NPR is a list of common people of the country. Which is prepared by a Non Governmental Organisation.
2. NPR data has been collected through conducting door to door survey in 2015.
3. This data is used by the government in policy making and National security.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 3 (b) 2 and 3
(c) 1 and 2 (d) All of the above.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), असम में चर्चित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से किस प्रकार अलग है? इसको बनाने से क्या लाभ होगा? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

How is the National Population Register (NPR) different from the National Citizen Register (NRC) in Assam? What would be the benefit of making this? Discuss (250 Words)

नोट : 26 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

Comi